प्रेम देवी बनाम हनुमान

97/2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उपस्थित तहसीलदार सांगानेर के कुरेजात रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते कुरेजात बहस/आपत्ति हेतु दिनांक 18/12/24 को पेश हो। [illegible] अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	18/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित [illegible] आपत्ति कुरेजात पेश [illegible] वास्ते जवाब/बहस आपत्ति कुरेजात [illegible] 8/1/25 को पेश हो। उपखण्ड [illegible] जयपुर [illegible]
	8/1/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज [illegible] अत: पत्रावली [illegible] 24/1/25 को पेश हो।
	24/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस आपत्ति सुनी गई वास्ते आदेश निर्णय 29/1/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	29/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित कुरेजात आपत्ति पर बहस सुनी गई। आपत्ति खारिज की जाती है वादी का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया उपखण्ड अधि[illegible] जयपुर द्वितीय (सां[illegible]

Reader

97
5/7/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
जयपुर (सांगानेर)।

वाद पत्र संख्या :- 97 /2019

प्रेम देवी धर्मपत्नी जगदीश प्रसाद शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण
निवासी ढाणी बडा खेत, ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
..........वादीनी

बनाम

हनुमान सहाय पुत्र भगवान सहाय जाति छीपां
निवासी छीपों को मोहल्ला, नामदेव चौक, सांगानेर, जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता :- तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा मुहाना, सांगानेर, जयपुर।
..........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

[illegible]ान् जी,

वादीनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या एक की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा [illegible]र 86 रकबा 0.15 हैक्टयर वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू.अभि.नि. मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित पैरा नम्बर एक में वर्णित कृषि भूमि को इस वाद में [illegible]ग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है, उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible]नी एंव प्रतिवादी संख्या एक के संयुक्त कब्जा काश्त व सम्मिलित खातेदारी की भूमि [illegible]जिसका विधिवत् रूप से कोई विभाजन वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या एक के मध्य आज नही हुआ है।

प्रेम

क्रमश:....2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
संख्या : 07 / 2019
निर्णय दिनांक : 29.01.2025

उनवान

...देवी धर्मपत्नी जगदीश प्रसाद शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ढाणी बडा खेत, ग्राम ...हाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

....वादीया

बनाम

...हनुमान सहाय पुत्र भगवान सहाय जाति छीपा
निवासी छीपों का मोहल्ला नामदेव चौक, सांगानेर जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना, सांगानेर, जयपुर।

....प्रतिवादीगण

दावा बावत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अंतिम डिक्री-आदेश

वादीया ने वाद पत्र बावत तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें न्यायालय ...वादीगण के वाद में दिनांक 24.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर ...निर्देशित किया गया कि वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर ...स्थित विवादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.15 हैक्टयर का तहसीलदार सांगानेर का ...निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जेकाश्त ...आधार पर तकासमा किया जाकर वादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम ...किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में ...तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 24.11.2023 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया ...जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0 / कुर्रेजात / 2024 / 9504 दिनॉक 26.11.2024 के ...द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षो की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी ...बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। ...वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ती प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल है प्रार्थना पत्र आपत्ती ...कुर्रेजात पर सुना गया। प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रेजात खारिज किया गया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का आद्योपान्त ...अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर ...से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित ...भूमि हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.15 हैक्टयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड ...रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
खातेदार	खसरा नं	रकबा	किस्म	लगान
प्रेमदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद शर्मा हिस्सा 7/24 जाति बागडा ब्राम्हण सा. मुहाना ढाणी वडा खेत खातेदार राहिन हिस्सा 7/24 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना, हनुमान सहाय पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 17/24 जाति छीपा सोनावा सा. सांगानेर खातेदार	86	0.1500	बरानी 2	
कुल किता	1	0.1500 है0		0.90

	प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
ता0 2	प्रेमदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति बागडा ब्राम्हण सा. मुहाना ढाणी वडा खेत खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना,	86/मि.	0.0438		हरा
	कुल किता	1	0.0438 है0		
ता0 2	हनुमान सहाय पुत्र भगवान सहाय हिस्सा पूर्ण जाति छीपा सोनावा सा. सांगानेर खातेदार	86/मि.	0.1062		पीला
	कुल किता	1	0.1062 है0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा ...क कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व ...की प्रति वाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार ...नेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरुप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर